

उमरे के सा. एवं सहा. नियम की संशोधन पर्ची सं.-65 दिनांक-12.08.2020 का राजभाषा में अनुवाद

- (संदर्भ : 1.(i) उप मु.रे.सं.आ.(एस&टी)/लखनऊ का पत्र सं.-800/लेविल क्रसिंग/आगरा/पार्ट-13/1064, दि.-10.12.2019,
(ii) प्र.मु.सिग.एवं दूर.इंजी./उमरे का नोट सं.-एनसीआर/एस.एंड टी./8007/पॉलिसी/पार्ट-6, दि.-17.12.2019 &
(iii) ई.डी./संरक्षा-II, रे.बोर्ड का पत्र सं.-2020/सेफटी (ए&आर)/19/12(पार्ट-2), दि.-31.07.2020 मद सं.1के लिए।
2. ई.डी./संरक्षा-II, रे.बोर्ड का पत्र सं.-2020/सेफटी(ए&आर)/19/15, दि.-24.07.2020, मद सं. 2 के लिए।
3. प्र.मु.सि.एवं दूर.इंजी./उमरे का नोट सं.-एनसीआर/एस&टी./8007/पॉलिसी/पार्ट-6, दि.-10.06.2020 मद सं. 3 के लिए।

1. नया स. नि. 3.75/5 निम्नानुसार जोड़ा जाता है -

स.नि. 3.75/5 - सामान्यतः मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल समपार फाटक का बचाव नहीं करेगा, लेकिन अत्यंत आपात स्थिति में यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल द्वारा समपार फाटकों का बचाव -आईबी सिगनल खंभे पर लीजेंड बोर्ड लगाया जाएगा जिस पर लीजेंड "आईबीएस सिगनल जो समपार फाटक का बचाव करता है। 'ऑन' स्थिति में आईबीएस सिगनल से गुजरने के पहले समपार फाटक का बंद होना सुनिश्चित करें" लिखा होना चाहिए। इस लीजेंड बोर्ड का बैकग्राउंड सफेद होगा और इस पर काले रंग से लीजेंड लिखा जाएगा।

- (क) मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल जो समपार फाटक का बचाव करता है, को 'ऑन' स्थिति में पार करना :-
- जब लोको पायलट को ऐसा मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल 'ऑन' स्थिति में मिलता है तो वह अपनी गाड़ी को सिगनल के पहले रोक देगा और स्पष्ट अंतराल पर एक लगातार लंबी सीटी बजाकर गार्ड को इसके बारे में सूचित करेगा और पिछले ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर से, इस उद्देश्य से सिगनल के खंभे पर लगे टेलीफोन/एमटीआरसी द्वारा संपर्क स्थापित करेगा।
 - लोको पायलट द्वारा टेलीफोन/एमटीआरसी के जरिए संपर्क किए जाने पर यदि स्टेशन मास्टर को सिगनल के खराब होने का पता चलता है, तो स्टेशन मास्टर समपार फाटक को नॉन इंटरलॉकड मानेगा और यदि समपार फाटक उसके नियंत्रण में आता है, तो गेटमैन से व्यक्तिगत रूप से अथवा दूसरे सिरे के स्टेशन के स्टेशन मास्टर से समपार फाटक के बंद होने के आश्वासन के तौर पर प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा और इसकी प्रविष्टि गाड़ी सिगनल रजिस्टर में करेगा। स्टेशन मास्टर टेलीफोन/एमटीआरसी के जरिए लोको पायलट को मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करने और अगले स्टेशन से गाड़ी के लिये 'लाइन क्लियर' प्राप्त करने के बाद, उस प्राइवेट नंबर को जिसके अंतर्गत उसने अगले स्टेशन से 'लाइन क्लियर' प्राप्त किया था, जारी कर अगले ब्लाक सेक्शन में प्रवेश करने के लिये अधिकृत करेगा। लोको पायलट उस प्राइवेट नंबर को अपनी मेमो पुस्तक में नोट करेगा, निर्धारित कोड के अनुसार (छोटी-लंबी-छोटी) सीटी बजाएगा, गार्ड से 'सब ठीक है' का सिगनल प्राप्त करेगा और सामान्य गति के साथ आगे बढ़ेगा।
 - यदि आईबीएस सिगनल के खंभे पर लगा टेलीफोन/एमटीआरसी खराब हो गया हो और लोको पायलट पिछले स्टेशन से संपर्क स्थापित करने में असमर्थ हो तो ऐसी स्थिति में वह स्टेशन मास्टर से बार-बार संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेगा और 5 मिनट तक सिगनल पर प्रतीक्षा करेगा और इस अवधि के दौरान यदि सिगनल को 'ऑफ' स्थिति में नहीं किया जाता है, तो लोको पायलट आईबीएस सिगनल पर लगाए गए ऊपर वर्णित लीजेंड बोर्ड को संज्ञान में लेगा। वह एक लंबी सीटी बजाकर, गार्ड को इसकी सूचना देगा, जिसको आवश्यकतानुसार दोहराया जा सकता है और उसके साथ 'सब ठीक है' के संकेतों का आदान - प्रदान करने के बाद मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में पार करेगा और



पृष्ठ संख्या- 01 (कुल 03 पृष्ठ)

सावधानीपूर्वक समपार फाटक तक आगे बढ़ेगा | यदि गेटमैन उपलब्ध है और वह हाथ सिगनल दिखा रहा है, तो लोको पायलट आगे बढ़ेगा और फाटक को सावधानी के साथ पार करेगा | लेकिन यदि वहाँ गेटमैन उपलब्ध नहीं है या उपलब्ध है, परंतु हाथ सिगनल नहीं दिखा रहा है, तो वह समपार फाटक के पहले ही गाड़ी रोक देगा | तत्पश्चात यह सुनिश्चित कर लेने के बाद कि फाटक को सड़क यातायात के लिए बंद किया गया है, तो गेटमैन द्वारा या गेटमैन के न होने पर गाड़ी के इंजन क्रू के किसी सदस्य द्वारा हाथ सिगनल दिखाए जाने पर, लोको पायलट निर्धारित कोड के अनुसार सीटी बजाकर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेगा तथा किसी अन्य अवरोध जिसमें समपार फाटक भी शामिल है, यदि है, तो उससे पहले गाड़ी रोकने के लिये तैयार रहेगा | जब किसी मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल को इस प्रकार पार किया जाए तो दृश्यता अच्छी होने पर गाड़ी की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए | जहाँ किसी भी कारण से आगे का रेलपथ साफ - साफ दिखाई नहीं पड़ता हो तो लोको पायलट बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा, जो किसी भी हालत में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होगी | लोको पायलट तब तक बहुत ही सावधानी एवं सतर्कतापूर्वक आगे बढ़ता रहेगा, जब तक कि वह अगले रोक सिगनल के फुट पर न पहुँच जाए | यदि वह सिगनल 'ऑफ' स्थिति में हो, तो लोको पायलट इस सिगनल के पहले किसी संभावित अवरोध का पता लगाने हेतु लगातार निगाह बनाए रखेगा और उस सिगनल तक पहुँच जाने के बाद ही, सिगनल के संकेत के अनुसार कार्य करेगा | अगले ब्लाक स्टेशन पर रिसीव किए जाने के बाद लोको पायलट, सिगनल/टेलीफोन/एमटीआरसी, जो भी खराब हो, उसकी सूचना स्टेशन मास्टर को संचार/ लिखित मेमो के माध्यम से देगा |

- iv तथापि, यदि ऐसे मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल से ठीक पिछले ब्लाक स्टेशन वाले स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी हो कि ऐसा मध्यवर्ती ब्लाक सिगनल खराब हो गया है, तो आईबीएस सिगनल द्वारा संरक्षित फाटक को नॉन इंटरलॉकड माना जाएगा और गाड़ी भेजने से पहले, वह अगले स्टेशन से 'लाइन क्लियर' प्राप्त करेगा और अपने नियंत्रण के अधीन गेटमैन से व्यक्तिगत रूप में अथवा दूसरे सिरे के स्टेशन के स्टेशन मास्टर से समपार फाटक के बंद होने के आश्वासन के तौर पर प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा | इसके बाद वह लोको पायलट को अगले मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में उस पर बिना रुके सामान्य गति से पार करने का लिखित प्राधिकार टी/369(3बी) जारी करेगा | यह प्राधिकार उस समय लागू अन्य गति प्रतिबंधों के अधीन जारी किया जाएगा |

नोट : मंडल द्वारा स्टेशन संचालन नियम और फाटक संचालन नियम में तदनुसार परिवर्तन किया जाए |

2. नया स. नि. 3.75/6 निम्नानुसार जोड़ा जाता है-

स.नि.3.75/6 - मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल का संचालन करने वाले ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को जब स्वयं रोक सिगनल/ब्लाक उपकरण/ट्रैक सर्किट/एक्सल काउंटर आदि की खराबी के कारण मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल की विफलता के बारे में पता चले, तो वह गाड़ी भेजने से पहले मध्यवर्ती ब्लाक पोस्ट के ठीक आगे वाले ब्लाक स्टेशन तक के पूरे सेक्शन को एक ब्लाक सेक्शन के रूप में मानेगा और अगले मध्यवर्ती ब्लाक रोक सिगनल को 'ऑन' स्थिति में उस पर बिना रुके पार करने का लिखित प्राधिकार टी/369(3बी) जारी करेगा | ऐसे मामलों में लोको पायलट लागू अन्य गति प्रतिबंधों का पालन करते हुए आईबीएस सिगनल को 'ऑन' स्थिति में सामान्य गति से पार करेगा |



पृष्ठ संख्या-02 (कुल 03 पृष्ठ)

3. वर्तमान स.नि. 3.07/2 को हटाया जाता है और उसके स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाता है-

स.नि.3.07/2 - अकेले डिस्टेंट सिगनल की स्थिति में सिगनल संकेत क्रम का चार्ट निम्नानुसार है -

| क्र. सं. | डिस्टेंट सिगनल के संकेत | होम सिगनल के संकेत | मेन लाइन स्टार्टर सिगनल के संकेत | लूप लाइन स्टार्टर सिगनल के संकेत | नीचे दिए गए अनुसार अभिप्राय | गति |
|----------|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1. | हरा (आगे बढ़ो) | हरा | हरा | - | मेन लाइन से होकर गाड़ी थू जाने के लिए। | - |
| 2. | दो पीला (सावधान) | पीला | लाल | - | मेन लाइन में गाड़ी लेने के लिए। | - |
| 3. | दो पीला (सावधान) | रूट इंडीकेटर के साथ पीला | - | लाल अथवा पीला | लूप लाइन में गाड़ी लेने के लिए या लूप लाइन से गाड़ी को थू करने के लिए। | डिस्टेंट सिगनल के खंभे पर लगे सावधानता बोर्ड पर इंगित गति से टर्न आउट से गुजरने हेतु लोको पायलट अपनी गाड़ी को नियंत्रित करेगा। |
| 4. | पीला (सतर्क) | लाल | - | - | होम सिगनल पर गाड़ी रूकने के लिए। | - |

सं.-याता/सामा./संशोधन पर्ची/22/20

दिनांक: 13.07.2021.



(बिप्लव कुमार)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक


प्रतिलिपि :

1. प्रमुख कार्यकारी निदेशक (संरक्षा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली।
2. सचिव महाप्रबंधक - महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
3. प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी, प्रमुख मुख्य इंजी., प्रमुख मुख्य बिजली इंजी., प्रमुख मुख्य यांत्रिक इंजी., प्रमुख मुख्य सिगनल एवं दूर संचार इंजी./उत्तर मध्य रेलवे/प्रयागराज।
4. प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक - उत्तर रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे एवं पश्चिम मध्य रेलवे।
5. मंडल रेल प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा।
6. वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, प्रयागराज/झांसी/आगरा।
7. प्राचार्य, क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान/चंदौसी/उत्तर रेलवे।
8. प्राचार्य, बिजली प्रशिक्षण केंद्र/कानपुर/उत्तर मध्य रेलवे।



(बिप्लव कुमार)

प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबंधक



पृष्ठ संख्या - 03 (कुल 03 पृष्ठ)